फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

इकबाल खां बनाम राज० राज्य जरिये तहसीलदार
आरजिया मुसलमान भीलवाडा

धारा 136-131 किस्म दुरुस्ती

प्र०सं० 58/18

15.3.18 बाद जॉच ~~वाद~~/प्रार्थनापत्र/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 18.4.2018 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

11/5/18

राजस्व लोक अदालत कैम्प आरजिया में पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी के सम्मन के बाद तामिल के बाद प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किए गए प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी की ओर से पेरोकार उपस्थित, पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के खण्डन मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल पत्रावली ~~[illegible]~~ की गई। उभय पक्षों ने बहस करनी चाही, बहस उभय पक्षों की सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रा॰ पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र को स्वीकार किए जाने की इस्तद्वा की जबकि पेरोकार ~~सरकार~~ सरकार ने प्रा॰ पत्र को खारिज किए जाने की इस्तद्वा की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया विवादित आराजीयात ग्राम भदालीखेडा पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा मे स्थित होकर इब्राहिम खां S/o गफूर खाँ मुसलमान सा॰ देह के नाम दर्ज है। जरिए इन्तकाल नं॰ 1205 दिनांक 5/10/16 से उपहार पत्र से आ॰ नं॰ 645, 648, 650, 652, कुल किता 4, रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि इब्राहिम खा S/o गफूर खाँ के बजाय इकबाल खा S/o इब्राहिम खां मुसलमान साकिन देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई जिसकी ~~[illegible]~~ ताईद प्रस्तुत स॰ अभिलेख जमाबन्दी की नकल सं॰ 2071 से 2075 से होती है। प्रार्थी ने विवादित आ॰ बाबत ~~[illegible]~~ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा (राज.)

Scanned by CamScanner

जिसमें आ. न. 648, रकबा 6 बिस्वा का ही तरमीम है तथा रा. रिकार्ड में आ. न. 648 को विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार 6 बिस्वा के बजाय 5 बिस्वा का ही तरमीम होना पाया गया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी आ. न. 648 रकबा 6 बिस्वा के बजाय 5 बिस्वा ही तरमीम है ऐसी स्थिती मे आ. न. 648 जो मूल न. है उसके बटा न. 1 है इस कारण आ. न. 648 को भी बटा न. 1 से 9 में तरमीम करना आवश्यक है ताकि मौका व कब्जे काश्त के अनुसार नक्शे मे तरमीम किया है उसी अनुसार नक्शे मे तरमीम करना चाहते है ताकि 5 बिस्वा के बजाए 6 बिस्वा का तरमीम हो सके उसी अनुसार प्रार्थी संशोधन कराने का अधिकारी है क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम 6 बिस्वा भूमि दर्ज है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपने प्रा.पत्र को सिद्ध करने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अत:

(! आदेश ।)

प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा 136 LR ACT का स्वीकार किया जाकर ग्राम भयाली खेड़ा, पटवार हल्का आरजिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता आराजियात न. 648 रकबा 6 बिस्वा भूमि अनुसार नजरी नक्शे मे संशोधन किए जाने के आदेश दिए जाते है उसी अनुसार नजरी नक्शे मे ~~तरमीम की जावे~~ 6 बिस्वा भूमि की तरमीम की जावे निर्णय की पालना हेतु निर्णय की फोटो प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner